मुख्यालय

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**

Employees' State Insurance Corporation

**पंचदीप भवन, नई दिल्ली -110 002**

संख्या:ज़ैड-11/12/1/2020-जनसंपर्क दिनांक :09.04.2020

## प्रेस विज्ञप्ति

### कोविड -19 महामारी के दौरान राहत देने के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा किए गए उपाय

कोविड -19 महामारी के कारण देश बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपट रहा है। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए देश के कई हिस्सों को लॉक डाउन में रखा गया है। संकट से निपटने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपने पणधारियों और आमजन को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

### कोविड -19 महामारी से लड़ने के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा उठाए गए कदम

पूरे भारत में निम्नलिखित ईएसआईसी अस्पतालों को कोविड -19 विशेष अस्पताल घोषित किया गया है -

| | | |
|---|---|---|
| क) | क.रा.बी.निगमअस्पताल, अंकलेश्वर, गुजरात | : 100 बिस्तर |
| ख) | क.रा.बी.निगमअस्पताल, गुरुग्राम, हरियाणा | : 80 बिस्तर |
| ग) | क.रा.बी.निगमअस्पताल, वापी, गुजरात | : 100 बिस्तर |
| घ) | क.रा.बी.निगमअस्पताल, उदयपुर, राजस्थान | : 100 बिस्तर |
| ड़) | क.रा.बी.निगमअस्पताल, जम्मू | : 50 बिस्तर |
| च) | क.रा.बी.निगमअस्पताल बद्दी, हिमाचल प्रदेश | : 100 बिस्तर |
| छ) | क.रा.बी.निगमअस्पताल, आदित्यपुर, झारखंड | : 42 बिस्तर |
| ज) | क.रा.बी.निगमअस्पताल, जोका, पश्चिम बंगाल | : 470 बिस्तर |

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त,देश के अधिकांश शेष क.रा.बी. निगम अस्पतालों में लगभग **1112 आइसोलेशन बिस्तर** उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, इन अस्पतालों में **197 वेंटीलेटर के साथ कुल 555 आईसीयू /एचडीयू बिस्तर** भी उपलब्ध कराए गए हैं।

3. कोविड-19 जाँच सुविधा क.रा.बी.निगम अस्पताल, फरीदाबाद (हरियाणा) में उपलब्ध कराई गई है।

4. निम्नलिखित स्थानों पर क.रा.बी.निगम अस्पतालों में **संगरोध सुविधा (कुल 1184 बिस्तर)** को कार्यात्मक बनाया गया है:

| | | |
|---|---|---|
| क.रा.बी.निगम अस्पताल, अलवर (राजस्थान) | : | 444 बिस्तर |
| क.रा.बी.निगम अस्पताल, बिहटा, पटना (बिहार) | : | 400 बिस्तर |
| क.रा.बी.निगम अस्पताल, गुलबर्गा (कर्नाटक) | : | 240 बिस्तर |
| क.रा.बी.निगम अस्पताल, कोरबा (छत्तीसगढ़) | : | 100 बिस्तर |

5. इस कठिन समय में क.रा.बी. निगम लाभार्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए, क.रा.बी.निगम ने लॉकडाउन अवधि के दौरान लाभार्थियों द्वारा निजी केमिस्ट से दवाओं की खरीद और इसके बाद क.रा.बी.निगम द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है।

6. यदि किसी क.रा.बी.निगम अस्पताल को विशेष रूप से कोरोना संदिग्ध/पुष्टि मामलों के लिए एक विशेष कोविड-19 अस्पताल के रूप में घोषित किया जाता है, तो टाई-अप अस्पताल से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए वैकल्पिक प्रावधान किया गया है। क.रा.बी. निगम लाभार्थियों को उस अवधि के दौरान निर्धारित द्वितीयक/एसएसटी परामर्श/प्रवेश/जांच प्रदान करने के लिए टाईअप अस्पतालों को रेफर किया जा सकता है, जिस दौरान संबंधित क.रा.बी. निगम अस्पताल विशेष कोविड -19 अस्पताल के रूप में कार्य कर रहा है। क.रा.बी. निगम लाभार्थी अपनी पात्रता के अनुसार, रेफरल पत्र के बिना सीधे टाई-अप अस्पताल से आपातकालीन/गैर-आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

7. कोरोना वायरस से संबंधित मामलों के बारे में राज्य/केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय के लिए प्रत्येक क.रा.बी. निगम अस्पताल हेतु नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।

8. इसके अलावा, क.रा.बी. निगम अस्पताल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जा रहे सभी अद्यतन दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अंगीकार कर रहे हैं। देश भर के क.रा.बी. निगम अस्पतालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क.रा.बी.निगम, मुख्यालय द्वारा ऐसे सभी उपायों के कार्यान्वयन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।

9. मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट आदि के पर्याप्त स्टॉक के अनुरक्षण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

10. कराबी निगम स्वास्थ्य संस्थान के परिसरों को विसंक्रमित करने, रोगाणुमुक्त करने और सैनिटाइज़ करने की आवृत्ति पर्याप्त रूप से बढ़ाई गई है।

11. कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन हेतु चिकित्सा/ परा-चिकित्सा स्टाफ का अनुकूलन किया जा रहा है।

12. कराबी निगम कोरोना वायरस महामारी से संबंधित मामलों हेतु अपने संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय से कार्य कर रहे हैं।

**<u>कराबी निगम के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु किए गए उपाय</u>**

13. नियम 60-61 के अंतर्गत स्थायी निःशक्तता के कारण बीमायोग्य रोजगार से बाहर होने वाले बीमाकृत व्यक्तियों को और **10**/- रु प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिए अग्रिम एकमुश्त अंशदान के भुगतान पर सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा हितलाभ प्रदान किया जाता है। लॉक डाउन की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिनमें लॉक डाउन के कारण वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न करा पाने के कारण इन लाभार्थियों के चिकित्सा हितलाभ कार्ड की वैधता समाप्त हो गई है। ऐसे लाभार्थियों को दिनांक 30.06.2020 तक कराबी निगम (केंद्रीय नियमावली) के नियम 60 और 61 के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

14. स्थायी निःशक्तता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ (मार्च **2020** माह के लिए लगभग चार लाभार्थी) का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खातों में कर दिया गया है।

**<u>नियोक्ताओं को राहत देने हेतु किए गए उपाय</u>**

15. नियोक्ताओं हेतु, फरवरी के लिए अंशदान अवधि जिसे 15 मार्च तक अदा किया जाना था, को बढ़ाकर अप्रैल तक कर दिया गया है और मार्च माह के लिए इसे बढ़ाकर मई तक कर दिया गया है तथा ऐसे विलंब पर ब्याज/क्षतिपूर्ति वसूल नहीं की जाएगी।

16. इसके अतिरिक्त, उन नियोक्ताओं को एकबारगी छूट भी प्रदान की गई है जिन्होंने अंशदान अवधि की समाप्ति के पश्चात **42** दिनों के भीतर अप्रैल **2019** से सितंबर **2019** की अंशदान अवधि के लिए क.रा. बीमा अंशदान फ़ाइल नहीं किया। नियोक्ताओं को यह अनुदान दिनांक **15** मार्च **2020** तक फाइल करने की अनुमति दी गई है।

-----------------------